भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय
आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर

कार्यालय आदेश सं. प्रका/069/002 दिनांक : 16.03.2017

विषय - संबंधित पक्षकार संव्यवहार नीति (संशोधित)

संदर्भ - कार्यालय आदेश सं. प्रका/069/001 दिनांक 24.04.2015

-o0o-

1.0 परिचय -

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ("कंपनी") को यह अभिज्ञात है कि कुछ विषयों में कंपनी एवं पणधारकों के हितों के बीच संभावित या वास्तविक मतभेद हो सकता है तथा इससे दोनों के हितों से संबंधित संगत संव्यवहार पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं।

कंपनी को विशेषतया यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ संबंधित पक्षकार के संव्यवहार (निम्न परिभाषा के अनुसार) में कंपनी के लिए विनिर्धारित कठोर न्यायिक एवं लेखा अपेक्षिताओं का पालन किया जाता है तथा तदनुसार उनका निपटान किया जाता है।

अतः, पुनरीक्षण, अनुमोदन एवं अभिपुष्टि हेतु विनिर्धारित संव्यवहार से संबंधित कार्यविधि के निर्धारण निर्धारण के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ("मंडल") द्वारा संबंधित पक्षकार के संव्यवहार के पुनरीक्षण एवं अनुमोदन से संबंधित यह संशोधित नीति स्वीकार की गई है।

सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षिताएँ) विनियम, 2015 के अधिदेशानुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की भौतिकता एवं पक्षकार संव्यवहार के सूत्रपात हेतु एक नीति का निर्धारण अनिवार्य है । कंपनी के बोर्ड ने अपनी निगमित अभिशासन प्रथाओं के अंश के रूप में, संबद्ध पक्षकार के संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित नीति एवं कार्यविधि स्वीकार की हैं।

2.0 अनुप्रयोज्यता एवं प्रभावी तिथि -

अनुप्रयोज्य विधि एवं विनियमों के आधार पर कंपनी तथा संबद्ध पक्षकारों के बीच संव्यवहार के विनियमन हेतु यह संशोधित नीति दिनांक 27 जनवरी 2017 के प्रभाव से कंपनी पर अनुप्रयुक्त होगी।

3.0 प्रयोजन

सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षिताएँ) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के आधार पर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन हेतु यह नीति निर्धारित की गई है और यह कंपनी एवं संबद्ध पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के अभिशासन तथा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु विनिर्धारित है, जिनके लिए निम्नलिखित अनुच्छेद 5.2 में उल्लेखानुसार लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड व पणधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

...2/-

4.0 **परिभाषाएँ** -

"**अधिनियम**" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अधीन विनिर्धारित नियवावली, किसी भी संशोधन, सुधारण, स्पष्टीकरण, परिपत्र आदि से होंगे।

"**पारस्परिक समझौता आधार**" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 188 (1) के स्पष्टीकरण (बी) के अनुवर्तन में, दोनों संबंद्ध पक्षकारों के बीच के ऐसे संव्यवहार से है, जो इससे संबद्ध न हो, ताकि दोनों के हितों में भी कोई मतभेद न हो । परस्पर समझौता (आर्म्स लेंग्थ) आधार के निर्धारण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अंतरण मूल्यनिर्धारण के प्रावधानों से दिशा-निर्देश प्राप्त किया जाए।

अधिनियम की धारा 2(6) के अनुवर्तन में, "**सहयोगी कंपनी**" से तात्पर्य किसी अन्य कंपनी से है जिसका कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव है, परंतु वह ऐसा प्रभाव रखने वाली कंपनी की सहायक कंपनी के समतुल्य नहीं है तथा इसमें संयुक्त उद्यम कंपनी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, "उल्लेखनीय प्रभाव" से तात्पर्य एक करार के अधीन कुल शेयर पूँजी के निम्नतम बीस प्रतिशत या व्यापारिक निर्णयों पर नियंत्रण से है।

"**लेखा परीक्षा समिति**" या "**समिति**" से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल की "लेखा परीक्षा समिति" से है ।

"**निदेशक मंडल**" या "**मंडल**" से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल से है ।

"**सीपीएसयू**" से तात्पर्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से है ।

"**कंपनी**" से तात्पर्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से है ।

"**सरकारी कंपनी**" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अधीन सरकारी कंपनी के रूप में परिभाषित कंपनी से है।

"**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) तथा उसके अधीन विनिर्धारित नियमों में यथा परिभाषित "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" से होगा ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के अधीन उल्लिखित "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" निम्नानुसार हैं -

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, अर्थात बी ई एल से संबंधित सीएमडी;
(ii) कंपनी सचिव;
(iii) पूर्णकालिक निदेशक;
(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी, अर्थात बीईएल के संबंध में मु.वि.अ. के रूप में कार्य करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक/निदेशक; तथा
(v) अन्य कोई भी मनोनीत अधिकारी

...3/-

सेबी (एल ओ डी आर) विनियम 2015 के विनियमन 23 (1) तथा कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं अधिकार) नियमावली 2014 के नियम 15 (3) के साथ पठित धारा 188 (1) के प्रथम प्रावधान के अनुवर्तन में,**"भौतिक संव्यवहार"** से तात्पर्य संबंधित पक्षकार के साथ कृत संव्यवहार से है जो यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वैयक्तिक रूप से किए गए हों या विगत संव्यवहार के साथ-साथ किए गए हों तथा यह कंपनी के विगत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित वार्षिक विक्रयावर्त के दस प्रतिशत से अधिक हो।

"व्यापार के सामान्य क्रम" में सभी सामान्य संव्यवहार, कंपनी तथा/या उसके व्यापार क्रम की प्रथाएँ तथा पद्धतियाँ सम्मिलित होंगे ।

"नीति" से तात्पर्य कंपनी से संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नीति से है ।

"संबंद्ध पक्षकार" से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति या सत्व से है -

(i) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के अधीन एक संबंधित पक्षकार है; या

(ii) जो प्रयोज्य लेखा मानकों के अंतर्गत एक संबंधित पक्षकार है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) तथा उसके अधीन निर्धारित नियम के अंतर्गत "संबंधित पक्षकार" का विवरण निम्नानुसार है -

(i) एक निदेशक या उनके संबंधी;

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी;

(iii) ऐसी संस्था, जिसके कोई निदेशक, प्रबंधक या उनके संबंधी सहयोगी हैं;

(iv) एक निजी कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक सदस्य या निदेशक हैं;

(v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसके कोई निदेशक या प्रबंधक, निदेशक हैं तथा अपने संबंधियों के साथ उसकी प्रदत्त शेयर पूँजी के दो प्रतिशत से अधिक अंश धारित करते हैं;

(vi) कोई भी कार्पोरेट निकाय जिसके निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, किसी निदेशक या प्रबंधक के परामर्श, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य किया जाता है;

(vii) कोई भी व्यक्ति जिसके परामर्श, निदेश या अनुदेश पर, किसी निदेशक या प्रबंधक द्वारा कार्य किया जाता है - बशर्ते कि उपर्युक्त सं. (vi) तथा (vii) में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में व्यावसायिक कौशल पर दिए गए परामर्श, निर्देश या अनुदेश पर प्रयोज्य नहीं होगा;

(viii) कोई भी कंपनी जो -

(क) उक्त कंपनी की धारक, सहायक या सहसंबद्ध कंपनी हो; या

(ख) धारक कंपनी की सहायक कंपनी जिसकी वह भी सहायक कंपनी है;

...4/-

(ix) धारक कंपनी के निदेशक (एक स्वतंत्र निदेशक के अलावा) या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी; या

(x) अन्य कोई भी मनोनीत व्यक्ति ।

इंड-एएस 24 के अनुवर्तन में **"संबंधित पार्टी"**, से तात्पर्य कोई व्यक्ति या सत्व से है, जो वित्तीय विवरण तैयार किए जाने वाले सत्व भी है ('रिपोर्टिंग सत्व ' का उल्लेख देखें)।

क) रिपोर्टिंग सत्व से संबंधित व्यक्ति या उस व्यक्ति का करीबी पारिवारिक सदस्य, जिसका यदि -

(i) रिपोर्टिंग सत्व का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है;

(ii) रिपोर्टिंग सत्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव है; या

(iii) रिपोर्टिंग सत्व के मुख्य प्रबंधन कर्मिक के सदस्य या रिपोर्टिंग सत्व के माता-पिता हैं

(ख) यदि सत्व रिपोर्टिंग सत्व से संबंद्ध है, तो क्या निम्न में से कोई भी शर्त प्रयोज्य होती है:

(i) सत्व तथा रिपोर्टिंग सत्व दोनों एक ही समूह के हैं (अर्थात प्रत्येक मूल, सहायक एवं सहयोगी सहायक सत्व परस्पर सबंद्ध हैं)

(ii) एक सत्व, दूसरे सत्व के सहयोगी या संयुक्त उद्यम के सदस्य हैं (या एक समूह के सहयोगी या संयुक्त उद्यमी है, जिनका सत्व सदस्य है)।

(iii) दोनों सत्व तृतीय पक्षकार के संयुक्त उद्यमी हैं।

(iv) एक सत्व तृतीय पक्षकार के संयुक्त उद्यमी हैं तथा दूसरा तृतीय पक्षकार के सहयोगी हैं।

(v) सत्व, या तो रिपोर्टिंग सत्व या उनके संबंधी के पश्च-रोज़गार लाभ योजना के लाभार्थी है। यदि रिपोर्टिंग सत्व को ऐसी किसी भी योजना का लाभ मिलता है तो प्रायोजक नियोक्ता भी रिपोर्टिंग सत्व से संबद्ध होंगे।

(vi) (क) में विनिर्धारित व्यक्ति द्वारा सत्व नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित हैं।

(vii) (क)(i) में विनिर्धारित व्यक्ति का सत्व पर प्रभाव है या सत्व के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का सदस्य है (या सत्व के माता-पिता हैं)

(viii) सत्व या उस समूह का कोई भी सदस्य जो सत्व का भाग हो, जो रिपोर्टिंग सत्व या उनके माता-पिता को प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों की सेवाएँ प्रदान कराता हो।

अधिनियम की धारा 188 (1) के अनुवर्तन में **"संबंधित पक्षकार के संव्यवहार"** से तात्पर्य ऐसे संव्यवहार से है जिसमें कंपनी एवं संबद्ध पक्षकार के बीच संसाधनों, सेवाओं या देयताओं का अंतरण सम्मिलित हैं, चाहे वह मूल्य प्रभारित हो या न हो, जिसके अधीन निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(क) किसी वस्तु या सामग्रियों के विक्रय, क्रय या आपूर्ति;

(ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय;

(ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति का पट्टे पर देना या लेना;

(घ) किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्त करना या प्रदान करना;

(ङ) वस्तुओं, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति का क्रय या विक्रय हेतु किसी अभिकर्ता की नियुक्ति;

(च) कंपनी, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी के किसी कार्यालय या लाभदायक पद पर किसी संबंधित पक्षकार की नियुक्ति; तथा

...5/-

(छ) कंपनी की किसी प्रतिभूति या उससे व्युत्पन्न किसी भी राशि का आर्थिक दायित्व:

स्पष्टीकरण - संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार में यह माना जाएगा कि संविदा में एकल संव्यवहार या सामूहिक संव्यवहार सम्मिलित है।"

"संबंधी"- अधिनियम की धारा 2 (77) के अनुवर्तन में किसी व्यक्ति के संदर्भ में संबंधी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो एक-दूसरे से संबंध रखता है, यदि -

(i) वे हिंदु अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;

(ii) वे पति एवं पत्नी हैं; या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का संबंधी है

उपर्युक्त (iii) के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का संबंधी तभी माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित प्रकार से दूसरे व्यक्ति से संबंध रखता हो जैसे:

(क) पिता (सौतेले पिता सहित)
(ख) माता (सौतेली माता सहित)
(ग) पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
(घ) पुत्र की पत्नी
(ङ) पुत्री
(च) पुत्री के पति
(छ) भाई (सौतेले भाई सहित)
(ज) बहन (सौतेली बहन सहित)

"सेबी (एल ओ डी आर) विनियम" से तात्पर्य भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षिताएँ) विनियमन, 2015 के अधीन विनिर्धारित किसी भी संशोधन, सुधारण, परिपत्र, स्पष्टीकरण आदि से होंगे ।

5.0 नीति -

5.1. संबंधित पक्षकार के संभावित संव्यवहार का संसूचन

5.1.1 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समूह की कंपनियाँ -

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समूह की सभी कंपनियों (अर्थात बीईएल की सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ एवं सहयोगी कंपनियाँ) को संबद्ध पक्षकार माना जाएगा ।

5.1.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनसे संबद्ध संबंधित पक्षकार -

प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) मंडल को अपने संबंधियों,ऐसी संस्थाओं/कंपनियों/कार्पोरेट निकायों के नाम जिनमें वे हिताधिकारी हैं, प्रकट करने होंगे । मंडल अपने हित प्रकटीकरण का अभिलेख स्वयं रखेंगे । कंपनी सचिव, निदेशकों/ केएमपी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकटीकरण के ब्यौरे यथाशीघ्र कार्पोरेट वित्त को सूचित करेंगे ।

5.1.3 कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ संभावित संव्यवहार का विनिर्धारण करेगी। संबंधित पक्षकार के संव्यवहार निम्न प्रकार श्रेणीकृत किया जाएगा क) पूर्व अनुमोदन ख) वित्त विभाग के परामर्श के साथ निम्न उल्लिखित अनुच्छेद 5.2 के मापदंड के आधार पर बहुशीर्ष अनुमोदन।

...6/-

5.1.4. समुचित अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी यथा लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल/शेयरधारकों के नाम के उल्लेख के साथ लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल को प्रस्तुत संबंधित पक्षकार के संव्यवहार के ब्यौरे, कार्पोरेट वित्त तिमाही आधार पर प्राप्त करते हुए उन्हें कंपनी सचिव को अग्रेषित करेंगे।

5.2. संबंधित पक्षकार के संव्यवहार के अनुमोदन तथा पुनरीक्षण -

I) लेखा परीक्षा समिति -

क) सामान्यत: संबद्ध पक्षकार के सभी संव्यवहार (अनुवर्ती संशोधन सहित,यदि कोई हो तो) लेखा परीक्षा समिति के पूर्व-अनुमोदन के साथ किए जाएँगे। ऐसे संव्यवहार पूर्ण औचित्य एवं सभी प्रासंगिक जानकारी सहित मामला दर मामले के आधार पर प्रस्तुत करते हुए संसाधित किए जाएँगे।

ख) हालाँकि, लेखा परीक्षा समिति द्वारा संबंधित पक्षकार के ऐसे संव्यवहार के लिए निम्न ग) में निर्धारित मापदंडों के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान बहुशीर्ष अनुमोदन दिया जा सकता है तथा यह सेबी (एल ओ डी आर) विनियमन एवं कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं शक्तियाँ) नियमावली के नियम 6ए तथा उसके संशोधन के अनुसार अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

ग) बहुशीर्ष अनुमोदन के अनुपालन के मानदंड -

1. एक वर्ष के दौरान बहुशीर्ष अनुमोदन के अधीन अनुमति प्रदान करने योग्य संव्यवहार का अधिकतम समग्र मूल्य;

(i) वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय के संबंध में - रु.500 करोड़ तक

(ii) वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के संबंध में - रु. 500 करोड़ तक

2. एक वर्ष के दौरान बहुशीर्ष अनुमोदन के अधीन अनुमति प्रदान करने योग्य प्रति संव्यवहार का अधिकतम मूल्य:

i) वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय की स्थिति में: सी पी एस यू के संबंध में रु.200 करोड़ तथा अन्य पार्टियों के संबंध में रू. 50 करोड़

ii) वस्तु एवं सेवाओं के क्रय की स्थिति में: सी पी एस यू के संबंध में रु.200 करोड़ तथा अन्य पार्टियों के संबंध में रू. 50 करोड़

3. बहुशीर्ष अनुमोदन की प्राप्ति के समय लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष विस्तारण तथा प्रकटीकरण के प्रकार -

क) यूनिट का नाम,

ख) संबंधित पार्टी के नाम,

ग) संव्यवहार की प्रकृति तथा अवधि

घ) मदों का संक्षिप्त विवरण

ङ) संव्यवहार की अधिकतम अनुमानित राशि जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है,

च) संकेतक आधार मूल्य या वर्तमान अनुबंधित मूल्य तथा मूल्य में अंतर का सूत्र, यदि कोई हो,

छ) मूल्य निर्धारण का आधार, क्या यह पारस्परिक समझौते पर आधारित है या सामान्य व्यापारिक संबंध पर

...7/-

ज) वित्तीय वर्ष के दौरान व्ययित/संस्वीकृत समग्र बहुशीर्ष अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में निर्णय लेने हेतु लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई भी संगत या महत्वपूर्ण सूचना

4. जहाँ संबंधित पक्षकार के आपेक्षित संव्यवहार नहीं देखा जा सकता या संबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं है, तो लेखा परीक्षा समिति ऐसे संव्यवहार पर बहुशीर्ष अनुमोदन ओरदान करेगी, जिसके प्रति संव्यवहार की राशि एक करोड़ रूपए से अधिक न हो।

5. पुनरावृत्ति प्रकृति के संव्यवहार तथा ऐसा अनुमोदन को कंपनी के हित में समझे जाने पर, बहुशीर्ष अनुमोदन की आवश्यकता पर लेखापरीक्षा समिति को स्वयं संतुष्टि होनी चाहिए ।

6. प्रदत्त बहुशीर्ष अनुमोदन अधिकतम एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा अनुमोदन की अवधि समाप्ति पर नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

7. ऐसे संव्यवहार, जो लेखा-परीक्षा समिति द्वारा बहुशीर्ष अनुमोदन की शर्तों के आधार पर नहीं होगें -

   (i) गैर-पुनरावृत्ति की प्रकृति के संव्यवहार
   (ii) विक्रय तथा कंपनी के उपक्रम के निपटान से संबंधित संव्यवहार
   (iii) समय-समय पर लगाए गए कोई अन्य वैधानिक प्रतिबंध

8. प्रत्येक अनुमोदन के अनुवर्तन में कंपनी द्वारा किए गए पक्षकार संव्यवहार के पुनरीक्षण की सावधिक अवधि: तिमाही पुनरीक्षण

   प्रदत्त बहुशीर्ष अनुमोदन के अनुवर्तन में कंपनी द्वारा किए गए पक्षकार संव्यवहार के पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी लेखा परीक्षा समिति द्वारा दी जाएगी जो वास्तविक संबद्ध पक्षकार संव्यवहार से संगत हो।

9. वैधानिक नियमों एवं विनियमों के अनुसार समय-समय पर अन्य मानदंड (उपर्युक्त को छोड़कर) का अनुपालन किया जाना चाहिए।

II) निदेशक मंडल -

i) अधिनियम की धारा 188 के अधीन विनिर्दिष्ट संबंधित पक्षकार के सभी संव्यवहार (तथा उनके अनुवर्ती संशोधन, यदि कोई हो), मंडल की बैठकों में पारित संकल्पों के माध्यम से, निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन की शर्त पर होंगे, जब तक कि ऐसे संव्यवहार-

- "व्यापार के सामान्य क्रम" में हो तथा
- पारस्परिक संबंध के आधार पर हो ।

ii) इसके अतिरिक्त, यदि लेखा परीक्षा समिति यह निर्धारित करती है कि संबंधित पक्षकार के संव्यवहार निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाना है या यदि किसी भी स्थिति में निदेशक मंडल ऐसे मामले के पुनरीक्षण का निर्णय लेती है अथवा किसी नियम के अधीन संबंधित पक्षकार के संव्यवहार अनुमोदित करना मंडल के लिए अनिवार्य होता है, तो निदेशक मंडल ऐसे संबंधित पक्षकार के संव्यवहार पर अनुमोदन प्रदान करने कर विचार करेंगे।

...8/-

iii) जहाँ कोई निदेशक संबंधित पक्षकार के साथ किसी संविदा या करार के लिए इच्छुक हैं, तो ऐसी संविदा या व्यवस्था से संबंधित संकल्प की विषय-वस्तु से संबंधित बैठक में चर्चा के दौरान ऐसे निदेशक उपस्थित नहीं होंगे।

iv) कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं शक्तियाँ) नियमावली के नियम 15 (1) तथा उसके किसी भी संशोधन के अनुवर्तन में, निदेशक मंडल की बैठक की कार्यसूची में संबद्ध पक्षकार संव्यवहार के अनुमोदन/पुनरीक्षण के संकल्प का प्रस्ताव किया जाता है, जिसमें निम्न बातें प्रकट की जाती हैं -

(क) संबंधित पार्टी के नाम तथा संबंध की प्रकृति
(ख) अनुबंध की प्रकृति व अवधि तथा अनुबंध या व्यवस्था के विवरण;
(ग) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था की भौतिक शर्तें, यदि कोई हो,
(घ) अनुबंध या व्यवस्था के संबंध में प्रदत्त अग्रिम, यदि कोई हो,
(ङ) मूल्य निर्धारण तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तों के निर्धारण का प्रकार, जो संविदा का अंश है तथा उसका अंश नहीं है, दोनों को सम्मिलित करें;
(च) क्या अनुबंध से संबंधित प्रासंगिक सभी घटकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं हो, तो उन पर विचार न करने के लिए तर्क के साथ विचार न किए जाने वाले घटकों के विवरण; तथा
(छ) प्रस्तावित संव्यवहार पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड के लिए संगत या महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना

III) शेयरधारक -

क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन

अधिनियम की धारा 188 के तहत निर्दिष्ट संबंधित पक्षकार के संव्यवहार (तथा अनुवर्ती संशोधन, यदि कोई हो) के लिए एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा (व्यापार के सामान्य क्रम तथा पारस्परिक संबंध आधार पर किए गए संव्यवहार के अलावा), यदि वे कंपनी (मंडल की बैठकें तथा उसकी शक्तियाँ), नियम, 2014 के साथ पढित कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से परे होते हैं ।

सरकार की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 अनुवर्तन में, कंपनी के साथ किसी अन्य सरकारी कंपनी द्वारा संव्यवहार के संबंध में किसी भी प्रकार का संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

अधिनियम की धारा 188 (1) के चौथे प्रावधान के अनुवर्तन में, जो धारक कंपनी तथा उसके संपूर्ण स्वमित्वाधीन सहयोगी कंपनी, जिनकी लेखा धारक कंपनी द्वारा समेकित की जाती है एवं सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष रखी जाती है, उनसे संबंधित संव्यवहार के लिए किसी भी प्रकार का संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं शक्तियाँ) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 15 के स्पष्टीकरण 3 के अनुवर्तन में, सामान्य बैठक की सूचना के साथ विस्तृत विवरण संलग्न किया जाना है, जिसमें निम्न विवरण सम्मिलित होंगे, नामतः

...9/-

(क) संबंधित पक्षकार का नाम

(ख) संबंधित निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक के नाम, यदि कोई हो;

(ग) संबंध की प्रकृति

(घ) संविदा या व्यवस्था की प्रकृति, भौतिक शर्तों, मौद्रिक मूल्य तथा अन्य विवरण;

(ङ) प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय हेतु सदस्यों के समक्ष कोई अन्य प्रासंगिक या महत्वपूर्ण सूचना

उपर्युक्त अधिकतम सीमाएँ वित्तीय वर्ष के दौरान वैयक्तिक रूप से या विगत संव्यवहार के साथ कृत संव्यवहार पर प्रयोज्य होंगी। उपरोक्त विक्रयावर्त या निवल संपदा का संगणन विगत वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया जाएगा।

संबंधित पक्षकारों की परिभाषा के अधीन आने वाले सभी सत्व तथा संव्यवहार हेतु इच्छुक पक्षकार संकल्प पारित किए जाने के मतदान से प्रविरत रहेंगे ।

ख) सेबी (एल ओ डी आर) विनियम के अधीन

विनियम 23 के अनुवर्तन में, पक्षकार से संबद्ध सभी भौतिक संवयवहार के लिए संकल्प द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है। हालाँकि, दो सरकारी कंपनियों, धारक एवं उसके संपूर्ण स्वामित्वाधीन सहयोगी कंपनियों (जिनकी लेखा धारक कंपनी द्वारा समेकित की जाती है एवं सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष रखी जाती है) के बीच संव्यवहार के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

संबंधित पक्षकारों की परिभाषा के अधीन आने वाले सभी सत्व संकल्प पारित किए जाने के मतदान से प्रविरत रहेंगे, यदि वे विशेष संव्यवहार के पक्षकार हों या न हों।

6.0 इस नीति के अधीन संबंधित पक्षकार के अननुमोदित संव्यवहार

यदि कंपनी को संबंधित पक्षकार के साथ ऐसे किसी संव्यवहार की सूचना प्राप्त होती है कि इस नीति के अधीन संव्यवहार पूर्व अनुमोदित नहीं है, तो उसे ऐसी संविदा या करार की तारीख से तीन महीनों के अंदर समुचित प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति द्वारा सर्वप्रथम ऐसे मामलों का पुनरीक्षण किया जाएगा। समिति संबंधित पक्षकार के संव्यवहार से संबंधित अभिपुष्टि, संशोधन व समापन जैसे सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों का आकलन करेगी। समिति मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए समुचित कार्रवाई कर सकती है।

यदि ऐसे संव्यवहार का अनुमोदन, उपरोक्त तीन महीनों की विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर प्राप्त नहीं किया जाता तो ऐसी संविदा या करार निदेशक मंडल के विवेकानुसार अवैध होगा तथा यदि ऐसी संविदा या करार किसी निदेशक के संबंधित पक्षकार के साथ है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत है तो संबंधित निदेशक द्वारा कंपनी के किसी भी प्रकार के नष्ट की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

...10/-

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी संविदा या व्यवस्था करने वाले निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की पहल करते हुए संविदा या करार के परिणामस्वरूप कंपनी को हुए नष्ट वसूली करने का विवृत विकल्प कंपनी के पास होगा।

कंपनी के निदेशक या कोई अन्य कर्मचारी जो अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई संविदा या करार पर हस्तक्षर करते हैं या उसे प्राधिकृत करते हैं, तो उन्हें अधिकतम एक वर्ष का कारावास या निम्नतम पच्चीस हज़ार रुपए तथा अधिकतम पाँच लाख रुपए तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों दंड दिए जाएँगे।

7.0 प्रकटीकरण

संबंधित पक्षकार के साथ सभी भौतिक संव्यवहार के विवरण कार्पोरेट अभिशासन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ-साथ तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रकट किए जाएँगे ।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्येक संविदा या करार, उनके औचित्य के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शेयरधारकों के समक्ष प्रकट किया जाएगा।

कंपनी संबंधित पक्षकार के संव्यवहार संबंधी नीति अपनी वेबसाइट पर प्रकट करेगी तथा वार्षिक प्रतिवेदन में इसका वेब-लिंक प्रदान किया जाएगा ।

8.0 विधि में संशोधन

कंपनी इस नीति की सावधिक पुनरीक्षण करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन नियमों, सूचीकरण करार तथा इस संबंध में प्रयोज्य अन्य किसी भी विधि के संगत प्रावधानों में किसी अनुवर्ती संशोधन /आशोधन के अनुपालन हेतु समुचित रूप से यह नीति संशोधित/अद्यतनीकृत की गई है।

9.0 यह कार्यालय आदेश दिनांक 24.04.2015 के कार्यालय आदेश सं.प्र.क/069/001 का अधिक्रमण करते हुए जारी किया जाता है।

महाप्रबंधक (मा.सं.)

यूनिट प्रमुख
यूनिट मा.सं./ वित्त प्रमुख
क्षे.का./ वि.केन्द्र प्रमुख
कंपनी सचिव

सीएमडी निं.(अनु.व वि.) निं.(बें.का.) निं.(अ.यू.) निं.(विपणन) निं.(मा.सं.) निं.(वित्त) सीवीओ